

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली

क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण का आगणन

प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/144793/2021

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित कुल 23.5520 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष यूपीडा द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम हरीपुर एह., तहसील-लालगंज, जिला-रायबरेली में भूमि गाटा संख्या-

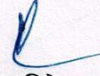
11मि०,12मि०,51मि०,52,61मि०,142,144,145मि०,147मि०,622मि०,624मि०,630मि०,633मि०,643 मि०,644,645 की उपलब्ध करायी गयी कुल- 27.2310 हे० गैर वन भूमि में 8-12 फीट पौधों (तार-बाड़ में एवं बोरिंग द्वारा सिंचाई) का रोपण एवं अनुरक्षण हेतु वांछित धनराशि का चरणवार व्यय का विवरण

क्र० सं०	कार्य का चरणवार विवरण	क्षेत्रफल	इकाई	दर प्रति हे०	धनराशि
1-	प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)	27.2310	हे०	65500	1783630.50
2-	द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)	27.2310	हे०	102300	2785731.30
3-	तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम वर्ष)	27.2310	हे०	28600	778806.60
4-	चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय वर्ष)	27.2310	हे०	24513	667513.50
5-	पंचम चरण (अनुरक्षण तृतीय वर्ष)	27.2310	हे०	15344	417832.46
6-	षष्ठम चरण (अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष)	27.2310	हे०	6422	174877.48
7-	सप्तम चरण (अनुरक्षण पंचम वर्ष)	27.2310	हे०	6422	174877.48
8-	अष्टम चरण (अनुरक्षण षष्ठम वर्ष)	27.2310	हे०	6422	174877.48
9-	नवम चरण (अनुरक्षण सप्तम वर्ष)	27.2310	हे०	6422	174877.48
10-	दशम चरण (अनुरक्षण अष्टम वर्ष)	27.2310	हे०	6422	174877.48
11-	एकादश चरण (अनुरक्षण नवम वर्ष)	27.2310	हे०	6422	174877.48
12-	द्वादश चरण (अनुरक्षण दशम वर्ष)	27.2310	हे०	5785	157531.34
योग					7640310.59
भविष्य में अनुमानित बढ़ोत्तरी 10 प्रतिशत					764031.06
कुल योग					8404341.65
या					8404342.00

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आगणन में दर्शायी गयी दरें मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ० प्र०, लखनऊ का पत्रांक-जी-254/15-1 (सीलिंग दर) दिनांक-12.02.2021 तथा कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ० प्र०, कैम्पा, लखनऊ के पत्रांक-999/2-37-2 (सीलिंग दर) दिनांक-17.02.2021 के अनुसार अग्रिम मृदा कार्य, वृक्षारोपण एवं अनुरक्षण हेतु (तार-बाड़ में/बोरिंग द्वारा सिंचाई) निर्धारित दरों पर आधारित है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी,
लालगंज


उप प्रभागीय वनाधिकारी,
लालगंज


प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली